फार्म विक्री क्रमांक :

जल कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र

प्रबंध संचालक,
म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल मर्यादित,
प्रथम तल, तवा काम्पलेक्स,
विट्ठन मार्केट, अरेरा कालोनी,
भोपाल (म.प्र.) – 462016

निवेदन है कि मै अपने उद्योग में औद्योगिक कार्य के लिये जल कनेक्शन लेना चाहता हूँ । मैने औद्योगिक क्षेत्र ..... में भूखण्ड क्रमांक ..... सेक्टर ..... का आधिपत्य दिनांक ..... को ग्रहण किया है, जिसकी रसीद क्रं. ..... दिनांक ..... की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है । मेरी इकाई ..... उत्पादन के लिये जिला उद्योग केन्द्र ..... / भारत शासन द्वारा पंजीयन क्रं. ..... दिनांक ..... प्रदाय किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है ।

मेरे जल कनेक्शन से अन्य किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने को आपत्ति प्रस्तुत हुई तो निगम को मेरा कनेक्शन बन्द करने का अधिकार होगा । खराब पानी प्रवाह की नियमानुसार व्यवस्था की गई है । जल दर जमा करने के जो आपके नियम है उसी के अनुसार जमा करता रहूँगा । जल प्रदाय के नियमों का पूर्ण पालन करूगाँ मेरे औद्योगिक कार्य हेतु जल का संभावित व्यय ..... लीटर प्रतिदिन, तथा उक्त परिसर में ..... एम.एम. आकार का होगा । अतः स्वीकृति लायसेन्सी प्लम्बर श्री ..... को प्रदाय की जाये जिसके द्वारा यह कार्य सम्पन्न किया जायेगा । जल प्राप्त करने संबंधी साईट प्लान तीन प्रति में संलग्न प्रस्तुत है । जल की व्यवस्था हेतु सड़क काटने तथा उसके व्यय की राशि आदेश प्राप्त होने पर जमा कर दी जायेगी । जल प्रदाय व्यवस्था हेतु मै आपके निगम में नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करने को तैयार हूँ । मीटर एवं अन्य आवश्यक सामान अनुबंध करने की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर उपलब्ध कराकर कनेक्शन करवा लिया जावेगा ।

प्रार्थना पत्र में अनुचित, अपर्याप्त अथवा असावधानी पूर्वक दी गई जानकारी पाई जाने पर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर धरोहर राशि जब्त कर ली जावे ।

कृपया निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार किया जायें ।

.....
.....
.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

वाटर वर्क्स लाईन डायमेशन

कनेक्शन साईज़ फेरूल ..... पाईप .....टोटी ..... चाबी से फासला ..... मीटर क्रमांक ..... निजी / शासकीय

प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र पर श्री ..... जो औद्योगिक इकाई के स्वामी है, ने हस्ताक्षर किये है ।

हस्ताक्षर प्लम्बर

उपभोक्ता के लिये महत्वपूर्ण सूचनाऐं :-

(1). नवीन जल संयोजन – किसी भी नवीन जल कनेक्शन के प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार कार्य विधि होगी ।

1) उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निगम के निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करेगा ।

(2) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेगें :-

क. आवंटित भूमि संबंधी आवंटन आदेश पंजीकृत पट्टाविलेख (लीज डीड) की प्रति तथा मैके पर प्राप्त कब्जा प्राप्त होने बावत् प्रमाण पत्र ।

ख. आवेदन की तिथि तक निगम को देय सभी राशियां जमाकरने संबंधी निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त पावती प्रमाण पत्र ।

ग. निर्माण कार्य प्रारम्भ बवत् सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नक्शा एवं अनुमति पत्र की प्रतियाँ

घ. 100/- का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर एक नग ।

ड़. अन्य कागजात जो निगम द्वारा समय-समय पर सूचित किये जाये ।

(2) जल प्रदाय की दरें निम्नानुसार होगी :-

1) औद्योगिक कार्य हेतु ।

1. उपचारित जल ₹ 16/- प्रति एक हजार लीटर ।

2. अनुपचारित जल ₹. 15/- प्रति एक हजार लीटर ।

(3) उक्त के अलावा निम्नानुसार राशियाँ देय होगी ।

(क) आवेदन प्रपत्र ₹ 200/– प्रति संयोजन

(ख) संयोजन शुल्क / पुनः संयोजन शुल्क – वापसी योग्य नहीं ।

1. 1000 लीटर से 10,000 लीटर	₹. 1200/– प्रति संयोजन
2. 10,001 लीटर से 50,000 लीटर	₹ 2000/– प्रति संयोजन
3. 50001 लीटर से 5,00,000 लीटर	₹ 4000/– प्रति संयोजन
4. 5,00,000 लीटर से उपर	₹. 10000/– प्रति संयोजन

(ग) प्रतिभूति राशि (वापसी योग्य)

क्रं. मांग प्रतिदिन	प्रतिभूति राशि
1. 1000 से 5000 लीटर	₹ 9,000/–
2. 50001 से 10000 लीटर	₹ 18,000/–
3. 10001 से 20000 लीटर	₹ 36,000/–
4. 20001 से 50000 लीटर	₹ 90,000/–
5. 50001 से 100000 लीटर	₹ 1,80,000/–
6. 100001 से 250000 लीटर	₹ 4,50,000/–
7. 250001 से 500000 लीटर	₹ 9,00,000/–
8. 500001 से अधिक	₹ 9,00,000/– + 1000/– प्रति हजार की मात्रा पर लीटर (पाँच लाख से ऊपर)

(घ) सड़क काटने बावत् शुल्क वापसी योग्य नहीं

कमांक	सड़क का प्रकार	निर्धारित दर (प्रति वर्गमीटर)	
1.	मिट्टी/मुरम	₹ 82.50	खुदाईकी चौड़ाई 0.5 मीटर निर्धारित होगी ।
2	डब्लू. बी. एम.सड़क	₹ 165.00	
3	सधारण बी.टी.रोड	₹ 330.00	
4.	हॉट मिक्स बी.टी.रोड	₹ 550.00	
5	कंक्रीट रोड़	₹ 880.00	

(उक्त दरों में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत् वृद्धि की जावेगी । इस प्रकार, सन् 2000 से 2005 तक 5 वर्ष हुए, अतः 5 प्रतिशत् प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की जाकर गणना कर दरें निर्धारित की जावेगी ।)
यदि उद्यमी स्वयं के व्यय में काटी गई सड़क को सुधरवाना चाहे तो वह पूर्व में उक्त राशि निगम में जमा कर निगम के यंत्री से सड़क निर्माण सुधार करने के पश्चात् गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर जमा की राशि वापस प्राप्त कर सकता है ।

(4) बिल प्रतिमाह की नियत तारीख तक भुगतान न करने की दशा में बिल राशि का 20 प्रतिशत के बराबर अधिभार देय होगा ।

(5) न्यूनतम शुल्क की वसूली कम से कम ..... /– रूपये अन्यथा मांग की गई जल की मात्रा की 50 प्रतिशत की राशि जो भी अधिक हो ।

अनुबंध का फार्म

म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भो) मर्या., भोपाल
जल प्रदाय विभाग
औद्योगिक जल संयोजन के लिये अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को प्रथम पक्षकार प्रबंध संचालक जो ..... के जरिये कार्य कर रहे है (जिन्हें इसमें इनके पश्चात् पूर्तिकर्ता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहाँ अपेक्षित हो उनके पदानुवर्ती शामिल होगें) और द्वितीय पक्ष वर्ग / श्री ..... पिता का नाम ..... औद्योगिक क्षेत्र ..... / प्लाट नम्बर ..... ।

जिन्हें इसके पश्चात् उपभोक्ता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति ने जहाँ संदर्भ आपेक्षित हो उनके वैध वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, निष्पादन तथा प्रशासन शामिल होगें, के बीच किया जाता है ।

चूंकि इकाई / उपभोक्ता ने ..... में स्थित अपनी इकाई कि उसके अधीन होकर औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भो) मर्यादित, भूखण्ड क्रं. ..... पर स्थित है, में जल कनेक्शन के लिये निहित फार्म में आवेदन किया है । और चूंकि .... स्थित जल प्रदाय ने इसके पश्चात् दिये गये निबंधनों तथा शर्तो के अध्याधीन उक्त परिसर में ..... लीटर प्रतिदिन

जल प्रदाय के लिये औद्योगिक मीटर युक्त जल कनेक्शन की नियमानुसार मंजूरी दी है ।

अतएव यह अनुबंध इस बात का साक्ष्य है और इसके द्वारा निम्नानुसार अनुबंध किया जाता है ।

1. इस अनुबंध की सभी दृष्टियों से तत्समय प्रवृत जल प्रदाय नियम वर्ष 1991 (जो अगस्त 1991 से लागू किये गये है) के अध्यधीन पढ़ा जावेगा और तद्नुसार उसका अर्थ लगाया जावेगा ।

   क) उपभोक्ता द्वारा जल कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थना पत्र अनुबंध करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

2. उपभोक्ता द्वारा जिस प्रयोजन के लिये संयोजन मंजूर किया गया है, उससे भिन्न कियी प्रयोजन के लिये जल का उपयोग नहीं करेगा और न ही जल का दुरूपयोग करेगा और न ही अन्य मकानों या भूमियों या इकाईयों के अधिवासियों को नल का जल लेने देगा । इस खण्ड के उल्लंधन के मामले में उपभोक्ता ऐसी रकम का भुगतान करने का दायी होगा, जो मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भो) मर्यादित भोपाल द्वारा जल प्रदाय नियम के अधीन देय जल कर का दुगना या उससे अधिक प्रभारित की जा सकेगी तथा नल संयोजन विच्छेद भी किया जा सकता है ।

3.(क) खपत हुये जल के मासिक बिल तैयार किये जायेगें और उपभोक्ताओं का उसमें नियत देयक तारीख के भीतर भुगतान के लिये भेज दिये जायेगों यदि उपभोक्ता देय होने की तारीख के भीतर बिल की रकम का भुगतान नहीं करता है तो उस पर 20 प्रतिशत अधिभार देना होगा । यदि उपभोक्ता बिलों का दो माह तक नियत तिथि पर भुगतान नहीं करता तो जल पूर्ति बन्द कर दी जावेगी एवं जल संयोजन विच्छेद कर दिया जावेगा । इसके लिये अलग से कोई नोटिस देय नहीं होगा । यदि नल संयोजन विच्छेद कर दिया है, इस दशा में उपभोक्ता

द्वारा पुनः कनेक्शन चाहने पर कनेक्शन शुल्क के साथ अदत्त विलों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा । यदि उनपभोक्ता का मीटर खराब रहता है या उपभोक्ता मीटर ठीक नहीं करवाता है उस स्थिति में उस माह से पूर्व के 12 (बारह) माह में अधिकतम राशि के समकक्ष वसूल की जावेगी ।

(ख) बिल डाक से या संदेशवाहक द्वारा भेजे जावेगें तथापि बिल का प्राप्त न होना उपभोक्ता को बिल या अधिभार सहित बिल का भुगतान करने से भारमुक्त नहीं करेगा । प्रत्येक माह बिल प्राप्त होने की दशा में बिल प्राप्त करने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी ।

(ग) उपभोक्ता द्वारा उसके अभिकर्ता द्वारा बिल का स्वीकार न करना उपभोक्ता कोनियत दिनांक के भीतर भुगतान करने से भारमुक्त नहीं करता है । यदि उपभोक्ता को बिल के बावत् कोई आपत्ति हो तो उस संबंध में उपभोक्ता निगम को सूचित करेगा, जिस पर यथा शीघ्र निर्णय लिया जावेगा । किन्तु निर्णय नियत दिनांक के पूर्व न हो सकें तब भी उपभोक्ता को नियत दिनांक के पूर्व बिल का भुगतान करना ही होगा । अन्यथा पूर्वोक्तानुसार अधिभार देय होगा ।

(घ) बिल के बारें में कोई भी शिकायत बिल की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित रूप में की जानी चाहियें । भले बिल में कोई असंगति हो या स्पष्टीकरण मांगा भी गया हो तो भी उपभोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पश्चात्वर्ती समायोजन के अध्ययीन अस्थायी रूप से या आपत्ति के साथ बिल की पूरी रकम का भुगतान कर दें ।

4. (क) विभाग के प्राधिकृत कर्मचारियों को यह अधिकार होगा कि वे आकस्मिक अल्पकालीन सूचना देकर परिसर में प्रवेश करें तथा यह जाँच करने के लिये कि जल का दुरूपयोग तो नहीं किया जा रहा है । सभी या किसी भी फिटिंग या नलों का निरीक्षण करें ।

(ख) यदि उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा जल प्रदाय के विभाग के कर्मचारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने में कोई बाधा उपस्थित की जाती है तो उपभोक्ता को कारण बताओं नोटिस देने के बाद कनेक्शन काट दिया जावेगा ।

5. <u>पाईप व पाईप फिटिंग</u> :–

(क) समस्त पाईप विशेष प्रकार के यंत्र (स्पेशील्स) या फिटिंग चाहे वे किसी प्रकार की हो विहित विशिष्टियों और इंडियन स्पेशीफिकेशन या ब्रिटिश स्टेन्डर्ड स्पेशीफिकेशन के अनुसार विशिष्ट विवरण के अनुरूप होगी । सामान्यतः समस्त फिटिंग ऐसी होगी कि वे 7.00 कि.ग्रा. प्रति वर्गसेन्टीमीटर (100 पौंड प्रति वर्ग इंच) दबाव सहन कर सकें । अनावश्यक रिसन तथा जल के अपव्यय के बचने के लिये फिटिंग में पीतल की स्क्रू विवटेप्स और स्टाप काक का विशेषतः उपयोग किया जावेगा ।

(ख) समस्त उपभोक्ताओं के पाईप तब तक कि किसी भवन के अन्दर न डाले गये हो सतह से कम से कम 50.00 सेंटी (1.6) नीचे जमीन में डाले जावेगा और इस तरह डाले या लगाये जावेगें जिससे उन पर सूर्य की गर्मी का प्रभाव न पड़े और न ही किसी उपभोक्ता को छोटा पाईप या फिटिंग किसी ऐसी स्थिति या रीति में डाली जावेगी जिसमें पाईप या फिटिंग को जोखिम या क्षति या जल का अपव्यय या प्रदूषण ग्रस्त न हो ।

(ग) किसी उपभोक्ता की टोटी किसी खुले प्रांगण, आने जाने के मार्ग किसी परिसर के बाहर इस प्रकार नहीं लगाई जावेगी जिससे जल प्रदाय के गृह के प्रभारी अधिकारी की लिखित विशेष अनुज्ञा के बिना वह सर्व साधारण को उपयोग के लिये प्राप्त हो सकें ।

(घ) निरन्तर जल को बाहर ले जाने के लिये उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक प्रबंध किया जावेगा और वह नल के तल पर लगाया जावेगा जिससे जल सरलता से बह सकें ।

(च) शोचालय, मूत्रालय, नालियों आदि स्थानों में कनेक्शन लेने हेतु निगम की पृथक स्वीकृति ली जावें ।

6. **<u>नलकार अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा</u>** :–

(क) कोई भी व्यक्ति पानी के पाईपों या इकाई के कनेक्शनों में कोई परिवर्तन या मरम्मत् या फिटिंग को तब तक निष्पादित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिये उसने जल प्रदाय गृह के प्रभारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करे ली हों ।

(ब) नलकार को उनके कार्यानुभव एवं योग्यता संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर निगम, अन्य सक्षम संस्था के द्वारा पंजीयन आदि ।

7. **<u>मीटर तथा मीटर वाचन</u>** :–

(क) जल पूर्ति नापने के लिये अपेक्षित सभी मीटर इंडीकेटर तथा विशेष उपकरण मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भो) मर्यादित, भोपाल की जल प्रदाय विभाग द्वारा उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किये जायेगें ।

(ख) किसी भी स्थिति में जल प्रदाय विभाग, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भो) मर्यादित भोपाल के प्राधिकारियों को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई मीटर नहीं लगाया जावेगा और ऐसे मीटर मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भो) मर्यादित, भोपाल या उनके प्रतिनिधि द्वारा सील बन्द किया जावेगा । एवं उपभोक्ता अपने मीटर मापक तथा मापक उपकरण को नियम अनुसार अच्छे हालत में रखने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(ग) मीटरों का वाचन प्रत्येक माह में एक बार ऐसी अर्न्तवधियों या समयों पर किया जावेगा जो मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भो) मर्यादित, भोपाल के इंजीनियर या उसका प्रतिनिधि उपयुक्त समझे ।

(घ) यदि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भो) मर्यादित, भोपाल के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को यह विश्वास करने के कारण हो कि उपभोक्ता के परिसर में लगा या लगें मीटर ठीक नहीं है । (जिसमें रूके हुये या मंद / तेज मीटर शामिल है) तो मीटर की जांच होने तक सही मात्रा पिछले महीनों के अधिकतम वाचन के समकक्ष निश्चित की जायेगी ।

8. <u>जल खपत का मिनिमम चार्ज</u> :–

(क) किसी मास में उपभोक्ता द्वारा जल का उपयोग नहीं किये जाने पर या कम जल का उपयोग किये जाने की दशा में उपभोक्ता द्वारा जल संयोजन लेने के समय चाही गई अधिकतम मांग के 50 प्रतिशत के बराबर मात्रा हेतु आवश्यक राशि न्यूनतम देय होगी । अथवा कम से कम ..... /– रूपये, जो भी अधिक हो देय होगी, इसमें पानी की खपत भी शामिल है ।

(ख) यदि प्रदेश में अल्प वर्षा के कारण जल व्यवस्था में संकट की परिस्थितियों में निगम द्वारा जल पूर्ति नहीं करने पर मीटर युक्त जल संयोजन उपभोक्ता के लिये वास्तविक रूप से प्रदान किये गये जल की मात्रा के अनुसार जल देयक जारी किया जायेगा । इसमें मीटर खराब / बिना मीटर जल संयोजन शामिल नहीं है ।

(ग) यदि कोई मीटर खराब हो जाये या उसकी मरम्मत् हो रही हो (यह अवधि अधिकतम एक माह की होगी) तो कार्यालय के जल कर निम्नानुसार संगणित किया जायेगा :–

(1) यदि जांच करने पर यह पाया गया कि मीटर से 5 प्रतिशत से अधि मंद नहीं है तो दर्ज वास्तविक खपत के हिसाब से ।

(2) यदि मीटर 5 प्रतिशत से अधिक मंद पाया गया तो गत माह के अधिकतम वाचन के समकक्ष जल कर वसूल किया जायेगा ।

(घ) उपभोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह जल मीटर को सभी प्रकार की हानियों से सुरक्षित रखे और यदि वह टूट फूट जाये तो उसके टूटने या खराब हाने की सूचना तुरन्त निगम के क्षेत्रिय कार्यालय में दी जाये एवं उसकी मरम्मत् उपभोक्ता के खर्च पर उपभोक्ता द्वारा एक माह के समय में करवायी जावेगी ।

(च) कोई भी उपभोक्ता मीटर के साथ छेडछाड नहीं करेगा और न ही निगम की अनुमति के बिना हटायेगा या उसका स्थान परिवर्तन करवायेगा । यदि वह इसमें चूक करेगा तो वह शस्ति का भागी होगा जो अधिकतम 1000/– रूपये तक हो सकती है ।

(छ) जल प्रदाय को नापने के लिये अपेक्षित मीटर उपभोक्ता द्वारा जल प्रदाय गृह के सभी पदाधिकारी के निर्देशन में लगावें जावेगें । मीटर की व्यवस्था उपभोक्ता को करना होगा । मीटर ऐसी जगह लगाना होगा, जिससे मीटरवाचन माह में किसी भी समय किसी भी दिन बिना असुविधा के या समय व्यय के बिना किया जा सकें । इसकी जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी तथा मीटर आसानी से पहूॅच योग्य न होने के कारण मीटर वाचन न होने से होने वाली सारी कठिनाईयों का उत्तरदायित्व उपभोक्ता का होगा ।

(ज) प्राधिकृत पदाधिकारी अपने विवेकानुसार उपभोक्ताओं के मीटर उनके उपयोग में होने के दौरान जांच कर सकेगा । यदि मीटर बिगड जावे या अशुद्ध वाचन देता पाया जाये तो उपभोक्ता को अपने खर्चे से ऐसी कलावधि जो अधिकतम 15 दिन की होगी के भीतर जो इस संबंध में उल्लेखित की जाये, मीटर को बदलना पडेगा या मरम्मत कराना होगा और इस कालावधि के दौरान

प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे स्थान पर दूसरा मीटर के अधिष्ठापन का खर्च तथा उसका भाडा उपभोक्ता से वसूल योग्य होगा ।

9. (क) निगम जलपूर्ति की गांरटी नहीं देता है और न किसी ऐसी हानि के लिये उत्तरदायी होगा जो वाटरमेंन्स या मशीनरी आदि संबंधी किसी अप्रत्याशित घटना या किसी आपात स्थिति के कारण जलापूर्ति ना होने से हुई हो और जिससे जलापूर्ति बन्द हो गई हो निगम पूर्वत जल पूर्वति जल पूर्ति के बन्द होने के कारण की पर्याप्तता एक मात्र निर्णायक होगा ।

(ख) निगम को यथा स्थिति जलपूर्ति या जलपूर्ति के घण्टे नियंत्रित करने का पूर्ण अधिकार है ।

(ग) पूर्तिकर्ता जलपूर्ति की किसी मात्रा तथा दबाव के संबंध में आबद्ध नहीं है ।

(घ) उपभोक्ता जलपूर्ति बन्द हो जाने या प्रतिबंधित की स्थिति में पूर्तिकर्ता से किसी भी दावेका हकदार नहीं होगा ।

10. यदि उत्तराधिकारी अथवा सम्पत्ति के अन्तरण द्वारा उपभोक्ता का नाम बदल जाये तो यथा स्थिति उत्तराधिकारी या हस्तान्तरण कर्ता ऐसे परिवर्तनों से एक मास की कालवधि के भीतर नाम परिवर्तन के लिये आवेदन करेगा तथापित नाम परिवर्तन निगम को उस अहाते (प्रोमायेसेस) से देय सारे बकाया चुकाने के बाद ही किया जा सकेगा ।

11. यदि इस अनुबंध से संबंध पक्षकारों के बीच इस अनुबंध या इनमें दिये गये उपबंधों या उससे उत्पन्न किसी वाद के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भो) मर्या., भोपाल को निर्देशित किया जायेगा और उस पर उनका निर्णय अंतिम निर्णायक और दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

12. मध्यप्रदेश जल प्रदाय नियम 1991 इस अनुबंध के भाग होगें ।

13. इस अनुबंध के अधीन उपभोक्ता से अप्राप्त कोई भी राशि उससे भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

14. निगम द्वारा निर्धारित स्ट्रीट लाईन चार्ज देय होगा ।

15. समय–समय पर निगम द्वारा पुनरीक्षित की गयी नई दरें लागू की जायेगी, जिसके लिये उपभोक्ता देने के लिये बाध्य होगा । इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने इस अनुबंध पर प्रत्येक के सामने उल्लेखित तारीक्ष और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये है ।

.....

उपभोक्ता

साक्षी

नाम : .....

पद नाम : .....

सील : .....

.....

पूर्तिकर्ता
म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल
के प्रबंध संचालक की ओर से

दिनांक .....